



Neutral Citation No. – 2026:AHC:17161

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 5377 वर्ष 2025

सुदर्शन

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील : मुन्ना तिवारी, संदीप कुमार सिंह

प्रतिवादी के वकील : सी एस सी, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री लेखराज सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी- ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती की दलीलें सुनीं।

2. यह याचिका प्रतिवादी संख्या 2 यानी प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड को निर्देश देने के लिए दायर की गई है कि वह पुनरीक्षण संख्या 230/2025 (धर्मराज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) पर निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय ले।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि निजी प्रतिवादी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका प्रतिवादी संख्या 2/ राजस्व बोर्ड के समक्ष 1.4.2025 से लंबित है। उन्होंने आगे बताया कि याचिकाकर्ता उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका में प्रतिवादी है। उन्होंने यह भी बताया कि पुनरीक्षण याचिका उत्तर प्रदेश राजस्व

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संहिता, 2006 की धारा 144 के तहत कार्यवाही से संबंधित है। उन्होंने निवेदन किया कि उपरोक्त लंबित पुनरीक्षण याचिका के शीघ्र निपटान के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

4. मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना और तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 / राजस्व बोर्ड को निर्देश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त पुनरीक्षण संख्या 230/2025 (धर्मराज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) का विधिवत रूप से पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निर्णय करे। अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर।

5. तदनुसार, रिट याचिका का अंतिम निपटारा किया जाता है।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"